क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	15/12/22	पत्रावली आज वकील वादी के विड्रो प्रा. पत्र पेश करने पर तलब की गई। वादी वकील ने प्रा. पत्र में अंकित किया की प्रकरण से सम्बन्धित 180/18 उनवानी गोविन्दशरण बनाम कहाकर प्रा. पत्र 136 के अन्तर्गत नम्बरी दुरस्ती निर्णय दिनांक 13/12/22 को हो चुका है। उक्त प्रकरण की नम्बरी दुरस्ती का उसी से सम्बन्धित है। जो केवल स्थायी निषेधाज्ञा का है। उक्त प्रकरण में नम्बरी दुरस्ती का होने से अब कोई कार्यवाही किया जाना शेष नहीं रहा है। इसलिए उक्त प्रकरण को विड्रो फरमाया जावे। इसलिए वादी वकील का विड्रो प्रा. पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद स्वयं से विड्रो प्रा. पत्र पर दावा वादी विड्रो (खारिज) किया जाता है। पत्रावली वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी (जयपुर)